FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

नवनीत कुमार **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए प्रकरण संख्या 358 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/ 511

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2025	प्रार्थी नवनीत कुमार पुत्र नारायण दास निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3307 दिनांक 19.11.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 111/2 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 111/2 में अंकित नाम नाबालिग रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार सरक्षंक सुनीता रानी के स्थान पर रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक रितिक सिंगला की कक्षा दसवीं की अंकतालिका में दर्ज जन्म तिथि 30.03.2022 के अनुसार रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार की आयु 23 वर्ष हो चुकी है। जमाबन्दी में नाबालिग रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार सरक्षंक सुनीता रानी के स्थान पर रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 111/2 में अंकित नाम नाबालिग रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार सरक्षंक सुनीता रानी के स्थान पर रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो। सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	863

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

नवनीत कुमार बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या:-358/2025
निर्णय दिनांक :- 21.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 111/2 में अंकित नाम नाबालिग रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार सरक्षंक सुनीता रानी के स्थान पर रितिक सिंगला पुत्र नवनीत कुमार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 21.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायले	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2025/863 दिनांकः 21.11.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)